डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. जानजली पुत्र लम्बे तेली निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादी

बनाम

1. अकबर पुत्र लम्बे
2. दीनू पुत्र लम्बे
3. जमालू पुत्र लम्बे
4. जिब्राहिल पुत्र लम्बे
5. आमीन पुत्र लम्बे
   समस्त जाति तेली निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. बतासी पुत्री लम्बे तेली निवासी समोची तहसील खेडली जिला भरतपुर।
7. जुम्मा पुत्र उमेदी
8. मंगतू पुत्र उमेदी
   समस्त जाति तेली निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 97/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू श्री .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी जानजली पुत्र लम्बे जाति तेली निवासी निसूरा को ग्राम निसूरा की आराजी ख0न0 693/1 रकवा 0.10 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबन्दी के शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा।

निज..................मुबलिंग.......................बाबत......................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.11.2019 को जारी की गई।

दस्तखत..........29/11/19

ओहदा.......................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 97 / 17

तारीख रजू:– 25.7.17

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. जानजली पुत्र लम्बे तेली निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादी

बनाम

1. अकबर पुत्र लम्बे
2. दीनू पुत्र लम्बे
3. जमालू पुत्र लम्बे
4. जिब्राहिल पुत्र लम्बे
5. आमीन पुत्र लम्बे

   समस्त जाति तेली निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. बतासी पुत्री लम्बे तेली निवासी समोची तहसील खेडली जिला भरतपुर।
7. जुम्मा पुत्र उमेदी
8. मंगतू पुत्र उमेदी

   समस्त जाति तेली निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांक:– 29.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम निसूरा स्थित आराजी ख0न0 688 / 0.21, 689 / 0.03, 690 / 0.21, 691 / 0.21, 692 / 0.20, 693 / 0.22, 694 / 0.14, 914 / 0.11, 924 / 0.03, 925 / 0.02, 927 / 0.06, कुल किता 11 कुल रकवा 1.44है0 मे वादी हिस्सा 1 / 14 का खातेदार काश्तकार है। बकिया हिस्सा के प्रतिवादी न0 1 ता 8 खातेदार है जो सहखातेदार है। उक्त आराजी मे वादी अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर लगान अदा कर रहा है लेकिन डोल–मेड पर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादी न0 1 ता 6 से कहा कि तहसील मे चलकर बटवारा करा लेते है। इस पर उक्त प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारा इस जमीन पर कोई हिस्सा नही है तथा नाही तुम्हे हम काश्त करने देगे, वादी ने इनको काफी समझाया लेकिन वे नही माने इसलिये ये वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी न0 1 ता 8 डिवीजन ऑफ होल्डिंग डिक्री किया जाकर भूमि खाता संख्या 117 मे वर्णित ख0न0 688 / 0.21, 689 / 0.03, 690 / 0.21, 691 / 0.21, 692 / 0.20, 693 / 0.22, 694 / 0.14, 914 / 0.11, 924 / 0.03, 925 / 0.02, 927 / 0.06, कुल किता 11 कुल रकवा 1.44है0 मे वादी हिस्सा 1 / 14 का अलग खाता व लगान कायम किया जावेतथा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तलब कर वादी के हक मे फाईनल डिक्री जारी की जावे। एव प्रतिवादी न0 1 ता

Scanned by CamScanner

6 को बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आराजी मे वादी के हिस्सा 1/14 मे वादी के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 9 बाबजूद सूचना के उपस्थित नही इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 8 ने जरिये वकालतन उपस्थित होकर जबाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी वकील ने जबाब मे कथन किया वादपत्र मे वर्णित आराजी किता 11 कुल रकवा 1.44 है0 मे वादी का 1/14 हिस्सा दिनांक 17.10.2001 को जरिये विक्रय नामा से प्रतिवादी न0 4 जिब्राहिम को 64000रू0 मे बेचान कर दिया ओर कब्जा प्रतिवादी न0 4 को उसी समय संभलवादिया गया। तभी से जिब्राहिम कब्जाकाश्त करता चला आ रहा है वादी ने कब्जा संभलाने के साथ इकरारनामे मे लिखावट की थी कि वर्तमान मे भूमि पिताजी के नाम है जब भी जमीन मेरे नाम आयेगी तब मे प्रतिवादी न0 4 को बिना शर्त रजिस्ट्री करवादूगां। अब वादी की नियत मे बतयान्ती आ गई है। तथा पिता का इन्तकाल हो चला है प्रतिवादी न0 4 ने वादी से अपने हक मे रजिस्ट्री करवाने के लिये कहा तो झूठा वाद पत्र न्यायालय मे पेश कर दिया जो कि गलत है वादी का उक्त आराजी मे कोई हिस्सा नही है। वादपत्र मे वर्णित डोल–मेड पर कोई विवाद नही है। वादी का उक्त आराजी पर किसी प्रकार की रिलीफ का हकदार नही है वादी का वाद पत्र मय हर्जा खारिज किया जावे व प्रतिवादी न0 4 को वादी का हिस्सा 1/14 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

बाद सुनवाई एवं वकील वादी की बहस सुनकर दावा प्राथमिक डिक्री कर वादी के हिस्से का अलग खाता कायम करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन कर पत्रावली एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। बटवारा स्कीम के अनुसार वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य पाने से डिक्री किया जाता है।

अतः वादी जानजली पुत्र लम्बे जाति तेली निवासी निसूरा को ग्राम निसूरा की आराजी ख0न0 693/1 रकवा 0.10 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जमाबन्दी के शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

29.11.19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 14:30:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: